



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE: SEPTEMBER 16, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

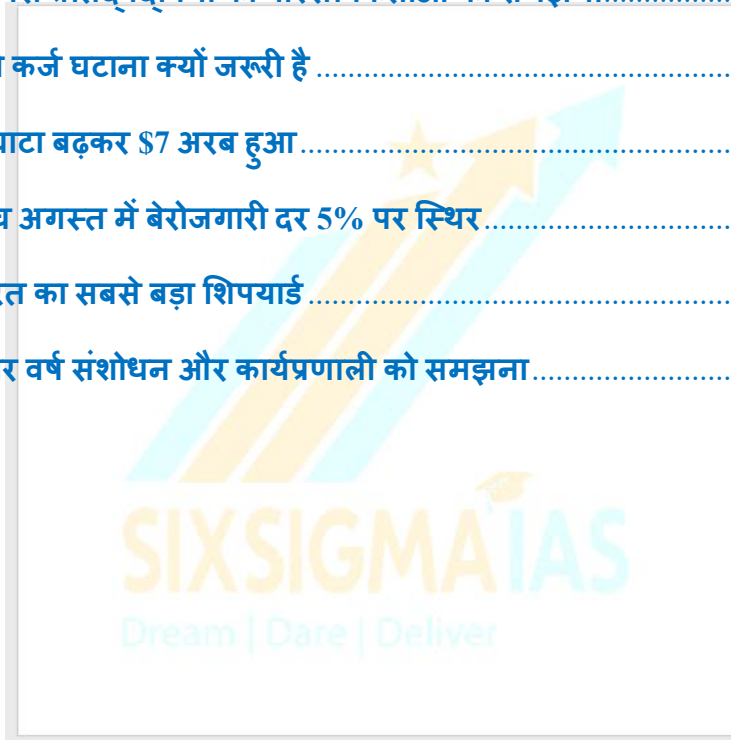


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत के वस्तु निर्यात में उछाल और व्यापार घाटे में कमी.....	2
2. उच्च-मूल्य वाले UPI लेनदेन पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट लागू.....	4
3. मेटा बाल सुरक्षा रिपोर्ट सीधे भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करेगा	5
4. छह राज्यों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए	6
5. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिवालियापन संहिता धोखाधड़ी और बड़ी कटौती (Haircuts) को उजागर किया	8
6. संजुक्ता पराशर CRPF CoBRA का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं	9
7. BRICS से परे महाशक्ति प्रतिद्वंद्वियों की वास्तविकताओं को समझना.....	11
8. भारत के लिए सरकारी कर्ज घटाना क्यों जरूरी है	12
9. जुलाई में चालू खाता घाटा बढ़कर \$7 अरब हुआ	14
10. ग्रामीण सुधार के बीच अगस्त में बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर	15
11. रायगढ़ में बनेगा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड	17
12. भारत के GDP आधार वर्ष संशोधन और कार्यप्रणाली को समझना.....	18



1. भारत के वस्तु निर्यात में उछाल और व्यापार घाटे में कमी

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **वस्तु निर्यात में उछाल:** भारत के वस्तु निर्यात (merchandise exports) में साल-दर-साल 26.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो अगस्त 2025 के 34.74 अरब डॉलर से बढ़कर अगस्त 2026 में 43.81 अरब डॉलर हो गया।
- **आयात में विस्तार:** अगस्त 2026 में वस्तु आयात 14% बढ़कर 70.67 अरब डॉलर पर पहुँच गया, जो अगस्त 2025 में 61.96 अरब डॉलर था।
- **विकास की गति में बढ़त:** पहली बार निर्यात वृद्धि दर, आयात वृद्धि दर से प्रतिशत (26% बनाम 14%) और निरपेक्ष मूल्य (9.07 अरब डॉलर बनाम 8.71 अरब डॉलर) दोनों ही मामलों में आगे निकल गई।

- **घटता व्यापार घाटा:** कुल व्यापार घाटा अगस्त 2026 में सिमटकर 9.4 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 11.6 अरब डॉलर से कम है।
- **समग्र व्यापार प्रदर्शन:** वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिलाकर, कुल निर्यात 25.4% बढ़कर 82.7 अरब डॉलर हो गया, जबकि कुल आयात 18.7% बढ़कर 92.1 अरब डॉलर रहा।
- **मात्रा और मूल्य चालक:** यह विस्तार केवल मूल्य में मुद्रास्फीति के कारण नहीं, बल्कि मुद्रा के अवमूल्यन के प्रभाव और निर्यात मात्रा (volume) के संदर्भ में हुई उल्लेखनीय वृद्धि दोनों से संचालित था।

आवश्यक परिभाषाएं

- **व्यापार घाटा (Trade Deficit):** एक ऐसी आर्थिक स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब किसी दी गई अवधि के दौरान किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत उसके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से अधिक हो जाती है।
- **वस्तु व्यापार (Merchandise Trade):** राष्ट्रों के बीच आयात या निर्यात की जाने वाली भौतिक, मूर्त वस्तुएं, जिनमें सेवा लेनदेन, वित्तीय परिसंपत्तियां और हस्तांतरण शामिल नहीं हैं।
- **मुद्रा का अवमूल्यन (Currency Depreciation):** विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में किसी देश की घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट होना, जिससे घरेलू निर्यात अपेक्षाकृत सस्ता और विदेशी आयात अधिक महंगा हो जाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 301:** यह गारंटी देता है कि भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम (intercourse) स्वतंत्र होगा, जो अनुच्छेद 302 के तहत संसदीय नियमों के अधीन है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** यह केंद्र सरकार को विदेश व्यापार नीति (FTP) बनाने और अधिसूचित करने, विदेश व्यापार संचालन को विनियमित करने और निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।
- **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962):** यह आयात और निर्यात शुल्कों को लगाने, वस्तुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने और व्यापार सीमाओं पर अवैध व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

निष्कर्ष

वस्तु निर्यात में 26.1% की मजबूत वृद्धि एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जहाँ कुल निर्यात जोड़ ने आयात वृद्धि को पीछे छोड़ दिया। दीर्घकालिक बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण नीति के निष्पादन के साथ-साथ मात्रा-आधारित निर्यात विविधीकरण पर निरंतर बल देना आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** बाह्य क्षेत्र, व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन (BoP), विदेश व्यापार नीति (FTP), और निर्यात-आधारित विकास मॉडल।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** चालू खाते के घटक, व्यापार घाटा गणना की गतिशीलता, और भारतीय विदेश व्यापार नीतियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे।

2. उच्च-मूल्य वाले UPI लेनदेन पर मर्चेट डिस्काउंट रेट लागू

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **MDR की शुरुआत:** नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाले ₹2,000 से अधिक के मर्चेट UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया है।
- **छोटे विक्रेताओं और P2P को छूट:** व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) हस्तांतरण और UPI QR कोड के माध्यम से मासिक ₹1 लाख तक कमाने वाले छोटे व्यापारियों द्वारा किए गए लेनदेन पूरी तरह से शुल्क मुक्त रहेंगे।
- **क्षेत्र-विशिष्ट सीमा (Capping):** रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का एकमुश्त (flat) MDR लगेगा, जबकि ₹75,000 से अधिक के सामान्य लेनदेन पर प्रति लेनदेन अधिकतम ₹300 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
- **राजस्व साझाकरण तंत्र:** एकत्रित 0.4% शुल्क डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच वितरित किया जाएगा, जिसमें एकायरिंग बैंक, इश्यूइंग बैंक और पेमेंट ऐप प्रदाता शामिल हैं।
- **P2P बाजार का प्रभुत्व:** सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कुल UPI मात्रा का 37% और कुल मूल्य का 70% P2P हस्तांतरण का है, जो हस्तांतरित राशि की परवाह किए बिना शुल्क मुक्त बना हुआ है।
- **उपभोक्ता संरक्षण परामर्श:** वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि मध्यम से बड़े व्यापारी इन लेनदेन शुल्कों का बोझ सीधे खुदरा अंत-उपभोक्ताओं पर न डालें।



आवश्यक परिभाषाएं

- **मर्चेट डिस्काउंट रेट (MDR):** डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI जैसे डिजिटल साधनों के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स और बैंकों द्वारा व्यापारियों से वसूला जाने वाला शुल्क।
- **नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI):** आरबीआई (RBI) और आईबीए (IBA) की एक पहल के रूप में स्थापित, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन।
- **व्यक्ति-से-व्यक्ति मर्चेट (P2PM):** छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक व्यावसायिक वर्गीकरण जो ₹1 लाख तक की मासिक लेनदेन सीमा के साथ QR कोड के माध्यम से सूक्ष्म-भुगतान (micro-payments) प्राप्त करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007:** यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को UPI सहित खुदरा भुगतान नेटवर्क को विनियमित करने, पर्यवेक्षण करने और नीतिगत ढांचा तैयार करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

- **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 10A:** यह डिजिटल बैंकिंग चैनलों में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से निष्पादित इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों और लेनदेन को कानूनी मान्यता प्रदान करती है।
- **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SU:** डिजिटल अर्थव्यवस्था के अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित व्यावसायिक संस्थाओं को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भुगतान स्वीकार करने की सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य करती है।

निष्कर्ष

स्तरीय (tiered) MDR ढांचे की शुरुआत खुदरा उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों की रक्षा करते हुए डिजिटल भुगतान प्रदाताओं के लिए वित्तीय स्थिरता को संतुलित करती है। यह नियामक बदलाव वित्तीय समावेशन में बाधा डाले बिना भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल लेनदेन पारिस्थितिकी तंत्र की दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI), मौद्रिक नीति, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र विनियमन।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** NPCI की संस्थागत संरचना, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधान, UPI संचालन तंत्र, और वित्तीय समावेशन पहल।

3. मेटा बाल सुरक्षा रिपोर्ट सीधे भारतीय एजेंसियों के साथ साझा करेगा

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग तंत्र:** मेटा प्लेटफॉर्म इंक. (Meta Platforms Inc.) ने घोषणा की कि वह बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) के मामलों की रिपोर्ट सीधे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देगा, जो अमेरिका स्थित नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) के अपने पारंपरिक रिपोर्टिंग मार्ग से परे एक विस्तार है।
- **राष्ट्रीय साइबर पोर्टल के साथ एकीकरण:** रिपोर्ट अब सीधे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा प्रबंधित साइबर अपराध पोर्टल के साथ साझा की जाएंगी।
- **ऐतिहासिक डेटा पहुंच:** इससे पहले, भारतीय अधिकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) और NCMEC के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से मेटा की CSAM रिपोर्टों तक पहुंचते थे।
- **साझा किए गए डेटा का दायरा:** राज्यसभा में साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 31 मार्च, 2024 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 69.05 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट साझा की गई थीं।
- **कॉर्पोरेट जवाबदेही:** मेटा ने प्लेटफॉर्म सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और कहा कि प्रत्यक्ष समन्वय का उद्देश्य बाल शोषण के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना है।

- **जांच दक्षता में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ मार्ग को समाप्त करने से परिचालन संबंधी देरी कम होती है, जिससे डिजिटल बाल सुरक्षा उल्लंघनों में कानून प्रवर्तन द्वारा त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM):** नाबालिगों से जुड़े स्पष्ट यौन शोषण को दर्शाने वाले दृश्य चित्र या डिजिटल सामग्री।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** साइबर अपराध के मुद्दों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक पहल।
- **साइबर टिपलाइन (Cyber Tipline):** बाल यौन शोषण और उत्पीड़न के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों और नागरिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** धारा 15 बाल अश्लील सामग्री के भंडारण, कब्जे और प्रसार को दंडित करती है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** धारा 67B ऑनलाइन बाल शोषण सामग्री को देखने, डाउनलोड करने, प्रकाशित करने या बनाने के लिए सख्त दंडात्मक उपाय निर्धारित करती है।
- **आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** सोशल मीडिया मध्यस्थों को स्वचालित उपकरण तैनात करने और सूचना मिलने पर तुरंत CSAM सामग्री हटाने का निर्देश देता है।
- **संवैधानिक अधिकार:** अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें बच्चों की शारीरिक अखंडता और सुरक्षा शामिल है, जबकि अनुच्छेद 39(f) राज्य को शोषण के खिलाफ बचपन की रक्षा करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

प्रमुख प्रौद्योगिकी मध्यस्थों द्वारा घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीधे CSAM रिपोर्टिंग से प्रक्रियात्मक प्रोटोकॉल सुव्यवस्थित होते हैं और भारत का डिजिटल बाल सुरक्षा ढांचा काफी मजबूत होता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध अवसंरचना के साथ वैश्विक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का संरेखण त्वरित खतरे के शमन और ऑनलाइन अपराधियों के प्रभावी अभियोजन को सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र II (शासन और राजव्यवस्था):** संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, बाल अधिकार, वैधानिक तंत्र, और साइबर अपराधों के खिलाफ संस्थागत उपाय।
- **GS प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा):** साइबर सुरक्षा खतरे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का विनियमन, I4C की भूमिका, और डिजिटल स्थानों में कानून प्रवर्तन समन्वय।

4. छह राज्यों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **अंतर-राज्यीय समझौता हस्ताक्षरित:** छह राज्यों - हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान ने ₹15,624 करोड़ के मूल्य की 422 मेगावाट की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **परियोजना का स्थान और अवसंरचना:** इस परियोजना में उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी, टोंस नदी पर निर्मित 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध शामिल है।
- **वित्तपोषण संरचना:** केंद्र सरकार 90% वित्तीय भार वहन करेगी, जबकि शेष 10% 1994 के अंतर-राज्यीय समझौते के अनुसार भागीदार राज्यों के बीच साझा किया जाएगा।
- **सिंचाई और विद्युत उत्पादन:** बांध की 1,562 मिलियन घन मीटर जल भंडारण क्षमता से 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और सालाना 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत का उत्पादन होगा।
- **पेयजल आवंटन:** दिल्ली प्राथमिक लाभार्थी के रूप में उभरता है, जिसे महत्वपूर्ण पेयजल आवश्यकताओं को हल करने के लिए सालाना 109.9 मिलियन घन मीटर पानी मिलेगा।
- **अंतर-राज्यीय विवाद समाधान:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेखांकित किया कि यह ऐतिहासिक समझौता वर्तमान प्रशासन के तहत दसवीं प्रमुख अंतर-राज्यीय जल विवाद के समाधान का प्रतीक है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बहुउद्देशीय परियोजना (Multipurpose Project):** बिजली उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति जैसे कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई एक एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना।
- **ग्रेविटी बांध (Gravity Dam):** कंक्रीट या पत्थर की चिनाई से बना एक विशाल बांध जो अपने पीछे जमा पानी के क्षेतिज दबाव का विरोध केवल अपने स्वयं के संरचनात्मक वजन के माध्यम से करता है।
- **टोंस नदी (Tons River):** यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, तथा कालसी के पास यमुना में मिलती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 262:** संसद को अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन का अनन्य अधिकार प्रदान करता है।
- **अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956:** तटीय राज्यों (riparian states) के बीच जल आवंटन संघर्षों को हल करने के लिए न्यायाधिकरण (tribunals) स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित किया गया।
- **राज्य सूची की प्रविष्टि 17 (सातवीं अनुसूची):** जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी और भंडारण को राज्य के विनियमन के अधीन रखती है, जो अंतर-राज्यीय नदी विकास से संबंधित संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन है।

निष्कर्ष

किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना पर सहकारी समझौता लंबे समय से चले आ रहे अंतर-राज्यीय नदी विवादों को सुलझाने में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को प्रदर्शित करता है। छह राज्यों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और संसाधन आवंटन को एकीकृत करके, यह समझौता ऐतिहासिक विवाद की बाधाओं को कम करते हुए क्षेत्रीय जल सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र II (शासन और राजव्यवस्था):** अंतर-राज्यीय संबंध, सहकारी संघवाद, वैधानिक निकाय, और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिए संवैधानिक प्रावधान।
- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था और अवसंरचना):** नवीकरणीय जल-ऊर्जा परियोजनाएं, सिंचाई अवसंरचना, जल संसाधन प्रबंधन, और क्षेत्रीय विकास मॉडल।

5. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिवालियापन संहिता धोखाधड़ी और बड़ी कटौती (Haircuts) को उजागर किया

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **IBC धोखाधड़ी पर ध्यान:** प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत धोखाधड़ी और अत्यधिक बड़ी कटौती (disproportionately large haircuts) को अपने प्राथमिक परिचालन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।
- **सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियां:** उजागर किए गए मुख्य मुद्दों में धारा 29A का उल्लंघन, लेनदारों की समिति (CoC) में हेरफेर, संबंधित पक्षों के दावों को बढ़ाकर दिखाना, परिसंपत्तियों की बिक्री (asset stripping), और साठगांठ वाले समाधानों के माध्यम से प्रवर्तकों (promoters) द्वारा परिसंपत्तियों को पुनः प्राप्त करना शामिल है।
- **लेनदारों की घटती वसूली:** IBC के तहत औसत वसूली दर वित्तीय वर्ष 2025 के 37% से घटकर वित्तीय वर्ष 2026 में 20% पर आ गई है, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि कंपनियां आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए IBC प्रक्रिया का उपयोग कर रही हैं।
- **सुभाष चंद्रा समझौता मामला:** NCLT ने एस्सेल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के लिए 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों के मुकाबले 6.25 करोड़ रुपये की पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी, जिसे बाद में पांच सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा स्थगित (stay) कर दिया गया।
- **एजेंसियों के बीच समन्वय निर्देश:** ED के क्षेत्रीय कार्यालयों को NCLT के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर करने, धोखाधड़ी वाले लेनदेन की पहचान करने और मुख्य साजिशकर्ताओं के खिलाफ स्वतंत्र PMLA जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए।



ED flags bankruptcy code frauds, 'disproportionate' haircuts as thrust areas



- **मूल्यांकन में विसंगतियां:** बैंकों ने पारदर्शी परिसंपत्ति मूल्यांकन पद्धतियों के अभाव पर चिंता व्यक्त की, जिससे ED को सरकारी मंजूर प्राप्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई संलग्न संपत्तियों के अनिवार्य मूल्यांकन की मांग करनी पड़ी।

आवश्यक परिभाषाएं

- **हेयरकट (Haircut):** शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के दौरान कुल बकाया ऋण पर वित्तीय लेनदारों द्वारा ली जाने वाली प्रतिशत कटौती या राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डालना)।
- **मोरेटोरियम (Moratorium):** IBC की धारा 14 के तहत एक कानूनी रोक जो कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी न्यायिक कार्यवाहियों, परिसंपत्ति हस्तांतरण और ऋण वसूली प्रवर्तन को अस्थायी रूप से रोक देती है।
- **धारा 29A (IBC):** एक वैधानिक प्रावधान जो इरादतन चूककर्ताओं (wilful defaulters), डिफॉल्ट करने वाले प्रवर्तकों और जुड़े हुए/संबंधित पक्षों को संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए समाधान आवेदकों के रूप में बोली लगाने से रोकता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016:** धारा 14 (मोरेटोरियम), 29A (समाधान आवेदकों की अयोग्यता), और 32A (सफल समाधान आवेदकों को पिछले अपराधों से छूट)।
- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002:** ED को अनुसूचित अपराधों और अपराध की आय से प्राप्त संपत्तियों की तलाशी लेने, जब्त करने, कुर्क करने और जब्त करने का अधिकार देता है।
- **संवैधानिक आयाम:** IBC की धारा 32A के तहत वैधानिक उन्मुक्ति और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39(b) और अनुच्छेद 39(c) के तहत आपराधिक कानून और आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के राज्य के कर्तव्य के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

साठगांठ वाले दिवालियापन समाधानों पर ED की जांच IBC के तहत वित्तीय ऋण समाधान और PMLA के तहत आपराधिक अभियोजन के बीच बढ़ते कानूनी तनाव को रेखांकित करती है। परिसंपत्ति मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रवर्तक के पुनः प्रवेश के आसपास की कमियों को दूर करना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिवालियापन चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) सुधार, बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs), और कॉर्पोरेट पुनर्गठन।
- **GS प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा):** मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौतियां, प्रवर्तन निदेशालय (ED) का जनादेश, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), और वित्तीय अपराध प्रवर्तन।

6. संजुक्ता पराशर CRPF CoBRA का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **ऐतिहासिक कमान:** वरिष्ठ IPS अधिकारी संजुक्ता पराशर (2006-बैच, असम-मेघालय कैडर) ने CRPF की एलीट CoBRA इकाई के महानिरीक्षक (IG) के रूप में कार्यभार संभाला है, जो इस विशेष जंगल-युद्ध बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
- **पूर्वाधिकारी और दायरा:** पराशर ने 10 बटालियनों वाले इस विशेष परिचालन गठन की कमान संभालते हुए, IG CoBRA के रूप में 1996-बैच के IPS अधिकारी दानेश राणा का स्थान लिया है।
- **विशेष परिचालन भूमिका:** CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन) को उच्च जोखिम वाले, खुफिया-आधारित संचालन, लंबी दूरी की गश्त, जवाबी हमलों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs) का सामना करने वाले घने इलाकों में जंगल युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- **परिचालन पदचिह्न:** CoBRA कमांडो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के माओवादी विरोधी क्षेत्रों में तैनात हैं, जबकि सशस्त्र हिंसा को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में मणिपुर में दो इकाइयां तैनात की गई हैं।
- **काउंटर-इंसर्जेंसी का अनुभव:** व्यापक रूप से "असम की आयरन लेडी" के रूप में जानी जाने वाली, पराशर के पास फील्ड पुलिसिंग, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद-विरोधी अभियानों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा जांच का व्यापक अनुभव है।
- **रणनीतिक नेतृत्व में बदलाव:** यह नियुक्ति उच्च-खतरे वाले संघर्ष क्षेत्रों में काम करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के भीतर लड़ाकू नेतृत्व भूमिकाओं में बढ़ते लैंगिक एकीकरण को उजागर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **CoBRA (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन):** गुरिल्ला युद्ध, सामरिक खुफिया और उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए 2008 में गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक विशेष इकाई।
- **गुरिल्ला युद्ध (Guerrilla Warfare):** गैर-पारंपरिक युद्ध जिसमें छोटे, गतिशील समूह बड़ी पारंपरिक सेनाओं के खिलाफ घात लगाकर हमला करने, छापेमारी और तोड़फोड़ जैसी अनियमित रणनीतियों का उपयोग करते हैं।
- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs):** आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत काम करने वाले वर्दीधारी सुरक्षा बल।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949:** शासी वैधानिक कानून जो CRPF और इसके विशेष विंगों के गठन, विनियमन और परिचालन कर्तव्यों का प्रावधान करता है।
- **संविधान का अनुच्छेद 355:** संघ पर प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने का कर्तव्य आरोपित करता है।
- **अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 16(2):** लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, सार्वजनिक रोजगार और आंतरिक सुरक्षा नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं के लिए समान अवसर की नीतियों का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

IG CoBRA के रूप में संयुक्ता पराशर की नियुक्ति भारत में उच्च-तीव्रता वाले लड़ाकू संरचनाओं के भीतर लैंगिक बाधाओं को तोड़ने में एक मील का पत्थर है। विशेष उग्रवाद-विरोधी इकाइयों में महिला नेतृत्व को सशक्त बनाना परिचालन विविधता को बढ़ाता है और आंतरिक सुरक्षा तंत्र में लैंगिक मुख्यधारा के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा):** CAPFs की भूमिका, वामपंथी उग्रवाद (LWE), उग्रवाद-विरोधी रणनीतियाँ, और सीमावर्ती तथा वन क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ।
- **GS प्रश्नपत्र I (समाज) और GS प्रश्नपत्र II (शासन):** महिला सशक्तिकरण, रक्षा और सुरक्षा सेवाओं में बाधाओं को तोड़ना, और कानून प्रवर्तन में प्रशासनिक नेतृत्व।

7. BRICS से परे महाशक्ति प्रतिद्वंद्वियों की वास्तविकताओं को समझना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **बहुध्रुवीयता से द्विध्रुवीय गतिशीलता में बदलाव:** वैश्विक भू-राजनीतिक आख्यान BRICS-नेतृत्व वाली बहुध्रुवीयता से मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के प्रभुत्व वाली आर्थिक द्विध्रुवीयता (G2 विश्व) की ओर परिवर्तित हो रहा है।
- **बहुपक्षीय समूहों में आंतरिक असमानता:** चीन अब BRICS के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग तीन-पांचवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास G7 के कुल नाममात्र उत्पादन का लगभग तीन-पांचवां हिस्सा है, जो प्रमुख गुटों के भीतर बिजली के एकाग्रता को दर्शाता है।
- **G2 अंतर-निर्भरता और प्रबंधन:** व्यापार, प्रौद्योगिकी और ताइवान पर गहरे संरचनात्मक विवादों के बावजूद, वाशिंगटन और बीजिंग दोनों निरंतर द्विपक्षीय जुड़ाव और उच्च-स्तरीय संपर्क के माध्यम से अपनी तीव्र प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन कर रहे हैं।
- **G3 ढांचे में रूस की रणनीतिक भूमिका:** आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद, रूस पर्याप्त सैन्य और भू-राजनीतिक प्रभाव बनाए रखता है, जिससे अमेरिका और चीन के साथ G3 गतिशीलता की संभावनाएं बनती हैं।
- **बहुपक्षीय मंचों की सीमाएं:** APEC, BRICS, G20, G7 और नाटो जैसी संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से निर्देशित करने के बजाय महाशक्ति की राजनीति द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर काम करती हैं।
- **भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकताएं:** भारत को वैश्विक बहुध्रुवीयता की केवल आदर्श अवधारणाओं पर भरोसा करने के बजाय महाशक्तियों की गहन होती बातचीत से व्यावहारिक रूप से निपटने के लिए अपनी विदेश नीति को अनुकूलित करना चाहिए।

आवश्यक परिभाषाएं

- **बहुध्रुवीयता (Multipolarity):** वैश्विक शक्ति का एक ऐसा वितरण जिसमें दो से अधिक राष्ट्र-राज्य सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव की लगभग बराबर मात्रा रखते हैं।
- **G2 गतिशीलता (G2 Dynamics):** एक अनौपचारिक भू-राजनीतिक मॉडल जो मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों द्वारा संचालित और आकार लेने वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को संदर्भित करता है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy):** एक विदेश नीति सिद्धांत जिसमें कोई देश प्रमुख शक्ति गुटों के साथ गठबंधनों से बंधे बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कानून तथा संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):** अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए भारत की विदेश नीति निर्माण के लिए मूलभूत संवैधानिक निर्देश प्रदान करता है।
- **विदेश नीति की स्वायत्तता:** अनुच्छेद 73 के तहत कार्यकारी शक्ति द्वारा समर्थित, जो केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय समझौतों में प्रवेश करने और जटिल राजनयिक संरिखणों को संचालित करने में सक्षम बनाता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे वैश्विक राजनीति तेजी से G2 या G3 संरचना की ओर झुक रही है, बहुपक्षीय मंच प्राथमिक रूप से द्विपक्षीय वार्ता के मंच के रूप में कार्य करते हैं। भारत के लिए, लचीली रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना और घरेलू आर्थिक क्षमताओं का निर्माण करना उभरती महाशक्ति प्रतिद्वंद्वियों की वास्तविकताओं को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र II (अंतरराष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** BRICS, G7, G20 और APEC जैसे वैश्विक समूहों की संरचनात्मक बनावट और आर्थिक वजन; भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के मूल सिद्धांत।

8. भारत के लिए सरकारी कर्ज घटाना क्यों जरूरी है

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **राजकोषीय समेकन लक्ष्य:** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों सहित समग्र सामान्य सरकारी ऋण को लगभग 80% तक लक्षित करते हुए, 2030 तक केंद्र के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 50% तक कम करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- **उभरते बाजारों के लिए कम सहनशीलता:** वैश्विक निवेशक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EMEs) के लिए कम ऋण सहनशीलता रखते हैं, जिससे पूंजी प्रवाह बनाए रखने और रेटिंग में गिरावट को रोकने के लिए राजकोषीय अनुशासन महत्वपूर्ण हो जाता है।

- **महत्वपूर्ण ब्याज भुगतान का बोझ:** भारत का ब्याज भुगतान सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5% पर है, जो कि तुलनीय बड़े उभरते बाजारों में 2.1% के मधिका (median) की तुलना में काफी अधिक है।

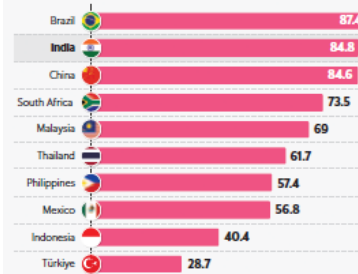
- **राजस्व पर दबाव और राजकोषीय जोखिम:** भारत अपने कुल सरकारी राजस्व का 25% से अधिक ब्याज भुगतानों पर खर्च करता है, जो IMF के 16-19% के राजकोषीय तनाव सीमा से अधिक है।

- **ब्याज दर में विच्छेद (Disconnect):** चीन के विपरीत, जहाँ उच्च ऋण की भरपाई 4% से कम उपज से होती है, भारत की केंद्र सरकार की उधार लागत 6-8% पर उच्च बनी हुई है, जिससे इसका ब्याज सेवा भार बढ़ जाता है।

- **संरचनात्मक राजस्व सीमाएं:** संकीर्ण कर आधार के कारण केंद्रीय कर राजस्व दो दशकों से अधिक समय से सकल घरेलू उत्पाद के 10-11% पर स्थिर बना हुआ है, जिससे राजकोषीय स्थिरता के लिए निरंतर ऋण में कमी महत्वपूर्ण हो जाती है।

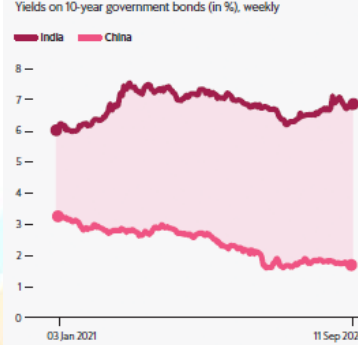
India's high interest-to-revenue burden and strict market expectations for emerging economies make reducing public debt key to safeguard investor trust, even as India runs lower debt levels compared to advanced economies.

India has one of the highest debt ratios among emerging market economies
General government debt as % of GDP among key emerging market economies, 2021-2025 average*

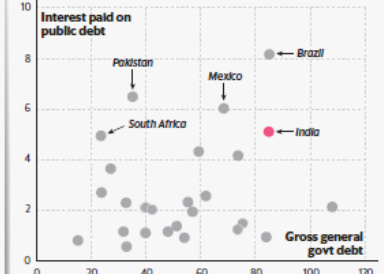


*Five-year average based on the latest available data used.

Government borrowing rates in India are much higher than in China
Yields on 10-year government bonds (in %), weekly

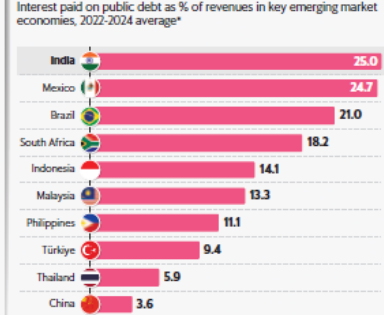


For its level of outstanding debt, India has a relatively high interest-to-GDP ratio
Values as % of GDP, 2022-2024 average*



*Three-year average based on the latest available data used.

India earmarks over a quarter of government revenues towards interest payments
Interest paid on public debt as % of revenues in key emerging market economies, 2022-2024 average*



*Three-year average based on the latest available data used.

आवश्यक परिभाषाएं

- **ऋण-से-जीडीपी अनुपात (Debt-to-GDP Ratio):** किसी देश के कुल सार्वजनिक ऋण की उसके सकल घरेलू उत्पाद से तुलना करने वाला एक मीट्रिक, जो आगे उधार लिए बिना ऋण चुकाने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।
- **राजकोषीय ग्लाइड पाथ (Fiscal Glide Path):** समय के साथ राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण के स्तर को धीरे-धीरे कम करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक नियोजित, बहु-वर्षीय प्रक्षेपवक्र (trajectory)।
- **ब्याज-से-राजस्व अनुपात (Interest-to-Revenue Ratio):** ब्याज भुगतानों द्वारा उपभोग किए जाने वाले कुल सरकारी राजस्व का अनुपात, जो बकाया ऋण चुकाने की राष्ट्र की संरचनात्मक क्षमता का आकलन करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 292:** संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने के लिए केंद्र सरकार को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है।

- **संविधान का अनुच्छेद 293:** राज्यों द्वारा उधार लेने को विनियमित करता है, यदि किसी राज्य पर केंद्र का बकाया ऋण है तो केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- **FRBM अधिनियम, 2003:** राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दीर्घकालिक व्यापक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे और सामान्य सरकारी ऋण को सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

निष्कर्ष

यद्यपि भारत का समग्र सार्वजनिक ऋण मुख्य रूप से घरेलू बना हुआ है, उच्च उधार लागत और सीमित राजस्व सृजन एक भारी ऋण-सेवा बोझ डालते हैं। पूंजीगत व्यय के लिए बजटीय संसाधनों को मुक्त करने और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु रेटिंग विश्वास को बनाए रखने के लिए राजकोषीय समेकन ग्लाइड पाथ का पालन करना अनिवार्य है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** सरकारी बजटीय प्रक्रिया, राजकोषीय नीति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, FRBM अधिनियम, और व्यापक-आर्थिक स्थिरता।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** ऋण-से-जीडीपी गतिशीलता, अनुच्छेद 292/293 के प्रावधान, ब्याज बोझ संकेतक, और बाह्य बनाम घरेलू उधार संरचनाएं।

9. जुलाई में चालू खाता घाटा बढ़कर \$7 अरब हुआ

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **चालू खाता घाटा बढ़ा:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2026 में भारत का चालू खाता घाटा (CAD) बढ़कर \$7 अरब हो गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने में दर्ज \$3.2 अरब से अधिक है।
- **वस्तु व्यापार में विस्तार:** इसका मुख्य कारण उच्च वस्तु व्यापार घाटा (merchandise trade deficit) था, जो जुलाई में \$31.7 अरब हो गया (पिछले वर्ष \$28.2 अरब था)। इस दौरान \$45.1 अरब के निर्यात के मुकाबले आयात बढ़कर \$76.8 अरब तक पहुंच गया।
- **सेवा अधिशेष में सुधार:** शुद्ध सेवा अधिशेष (Net services surplus) जुलाई में सुधरकर \$17.6 अरब हो गया (एक साल पहले \$16.4 अरब था)। इसे \$20.6 अरब के सेवा आयात के मुकाबले \$38.3 अरब तक पहुंचे मजबूत सेवा निर्यात का समर्थन मिला।
- **पूंजी प्रवाह और निवेश प्रक्षेपवक्र:** पूंजी खाते में जुलाई में \$27.7 अरब का तेज शुद्ध अंतर्वाह (net inflow) दर्ज किया गया (पिछले वर्ष \$3.5 अरब था)। इसे \$7.3 अरब के शुद्ध FDI अंतर्वाह और \$4.1 अरब के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) अंतर्वाह से बल मिला।
- **समग्र भुगतान संतुलन में अधिशेष:** पूंजी खाते के प्रदर्शन से प्रेरित होकर, समग्र भुगतान संतुलन (BoP) अधिशेष जुलाई 2026 में उछलकर \$20.8 अरब हो गया, जबकि जुलाई 2025 में यह \$0.3 अरब था।

- **चार महीने की संचयी प्रवृत्ति:** अप्रैल-जुलाई 2026-27 के लिए, चालू खाता घाटा (CAD) \$11.2 अरब रहा (2025-26 की समान अवधि में \$6.6 अरब था), जबकि पूंजी खाते का शुद्ध अंतर्वाह बढ़कर \$23.9 अरब हो गया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **चालू खाता घाटा (CAD):** भुगतान संतुलन का एक घटक जो उस कमी को मापता है जब आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरणों का कुल विदेशी मुद्रा मूल्य कुल निर्यात से अधिक हो जाता है।
- **पूंजी खाता (Capital Account):** विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों में बदलाव शामिल करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत लेनदेन का रिकॉर्ड, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और ऋण शामिल हैं।
- **भुगतान संतुलन (BoP):** किसी निश्चित अवधि में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच आयोजित सभी आर्थिक और वित्तीय लेनदेन का एक व्यवस्थित दोहरा-प्रविष्टि (double-entry) सांख्यिकीय रिकॉर्ड।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** भारत में सीमा पार चालू और पूंजी खाता लेनदेन और विदेशी मुद्रा बाजारों को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934:** RBI को विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करने, ऋण को विनियमित करने और बाहरी मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 246 (संघ सूची की प्रविष्टि 36 के साथ पठित):** संसद को मुद्रा, सिक्का ढलाई, कानूनी निविदा, विदेशी मुद्रा और बाहरी मौद्रिक संबंधों पर विशेष अधिकार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

हालांकि बढ़ते वस्तु व्यापार घाटे ने भारत के चालू खाता घाटे के विस्तार को संचालित किया है, लेकिन सेवा निर्यात में मजबूत वृद्धि, निरंतर प्रेषण अंतर्वाह (remittances), और FDI तथा FPI के माध्यम से महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाह बाहरी स्थिरता सुनिश्चित करना और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षा कवच (buffer) प्रदान करना जारी रखते हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** बाह्य क्षेत्र, भुगतान संतुलन (BoP), विदेशी मुद्रा भंडार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवृत्तियां, और व्यापार संतुलन गतिशीलता।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** चालू बनाम पूंजी खाते के घटक, FEMA 1999 के वैधानिक प्रावधान, RBI की रिजर्व प्रबंधन भूमिका, और व्यापार घाटे की गणना।

10. ग्रामीण सुधार के बीच अगस्त में बेरोजगारी दर 5% पर स्थिर

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **समग्र बेरोजगारी में स्थिरता:** 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की समग्र बेरोजगारी दर अगस्त में 5% पर स्थिर रही, क्योंकि शहरी बेरोजगारी में वृद्धि की भरपाई ग्रामीण रोजगार में सुधार से हो गई।
- **शहरी बनाम ग्रामीण असमानता:** अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 6.8% हो गई (जुलाई में 6.7% थी), जबकि इसी अवधि के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी 4.5% से उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.1% पर आ गई।
- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** अगस्त में समग्र LFPR बढ़कर 55.6% हो गया (जुलाई में 55.4% था)। यह मुख्य रूप से ग्रामीण LFPR में 58.2% (58.0% से ऊपर) की वृद्धि से संचालित था, जबकि शहरी LFPR 50.4% पर स्थिर रहा।
- **महिला भागीदारी में वृद्धि:** महिला LFPR ने एक सकारात्मक ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र दिखाया, जो अगस्त 2025 के 33.7% और जुलाई 2026 के 34.4% की तुलना में अगस्त में बढ़कर 34.8% हो गया।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** राष्ट्रीय WPR 52.5% से बढ़कर 52.8% हो गया, जिसका नेतृत्व ग्रामीण वृद्धि ने किया जहाँ WPR 55.8% तक पहुँच गया, जबकि शहरी WPR 47% पर स्थिर रहा।
- **लिंग-विशिष्ट प्रवृत्तियाँ:** समग्र पुरुष बेरोजगारी लगातार तीसरे महीने घटकर 4.9% हो गई, जिसमें ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी घटकर 4.3% पर आ गई और पुरुष WPR बढ़कर 73.5% हो गया।



आवश्यक परिभाषाएं

- **बेरोजगारी दर (UR):** श्रम बल में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या में से बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत।
- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):** जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो या तो कार्यरत हैं, काम की तलाश कर रहे हैं, या काम के लिए उपलब्ध हैं।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** कुल जनसंख्या के सापेक्ष नियोजित (कार्यरत) व्यक्तियों का प्रतिशत।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 39(a) और अनुच्छेद 41:** राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों और काम के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देते हैं।
- **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008:** MoSPI द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के लिए डेटा संग्रह का आधारभूत वैधानिक अधिकार।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005:** ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, जो ग्रामीण WPR स्थिरता का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

अगस्त का PLFS डेटा शहरी और ग्रामीण श्रम बाजारों के बीच संरचनात्मक अंतर को दर्शाता है। जहां कृषि सुधार और सार्वजनिक कार्य रोजगार संकेतकों, ग्रामीण LFPR और WPR को मजबूत करना जारी रखते हैं, वहीं जिद्दी (sticky)

शहरी बेरोजगारी को संबोधित करना टिकाऊ वेतन वृद्धि और जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** रोजगार सृजन, श्रम बाजार गतिशीलता, समावेशी विकास, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) मेट्रिक्स, और जनसांख्यिकीय लाभांश से संबंधित मुद्दे।
- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** LFPR, WPR और UR की परिभाषाएं और गणना; MoSPI का संस्थागत जनादेश; और मनरेगा (MGNREGA) के वैधानिक प्रावधान।

11. रायगढ़ में बनेगा भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **विशाल रक्षा निवेश:** राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा PSU मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में दीघी बंदरगाह पर एक ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर बनाने के लिए लगभग ₹27,000 करोड़ का निवेश करेगी।
- **जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार:** प्रस्तावित परियोजना का लक्ष्य दीघी में प्रति वर्ष कम से कम 20 लाख ग्राँस टन (2 million gross tonnes) की वार्षिक जहाज निर्माण क्षमता हासिल करना है, जिससे यह भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड शिपयार्ड सुविधा बन जाएगी।
- **बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन:** इस रणनीतिक विस्तार पहल से लगभग 90,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
- **घरेलू युद्धपोत निर्माण को बढ़ावा:** यह मेगा क्लस्टर वाणिज्यिक जहाजों, बड़े रक्षा युद्धपोतों और जटिल नौसैनिक प्लेटफार्मों को स्थानीय रूप से बनाने की भारत की स्वदेशी क्षमता को बढ़ाएगा।
- **रणनीतिक समुद्री एकीकरण:** कोंकण तट के साथ स्थित, यह परियोजना भारत को एक वैश्विक जहाज निर्माण और मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करने के राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों के अनुरूप है।
- **समुद्री अमृत काल विजन:** यह पहल भारत को 2030 तक शीर्ष 10 वैश्विक जहाज निर्माण देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 में उन्नत करने के केंद्र सरकार के लक्ष्य का सीधे समर्थन करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट (Greenfield Project):** किसी पहले से अविकसित भूमि पर शून्य से शुरू किया गया एक नया उद्यम या विकास, जिसमें मौजूदा बुनियादी ढांचे की कोई बाधा नहीं होती है।
- **ग्राँस टन (Gross Tonne - GT):** किसी जहाज के समग्र आंतरिक आयतन (volume) का एक गैर-रेखीय माप, जिसकी गणना पोत के सभी बंद स्थानों के मोल्डेड आयतन से की जाती है।
- **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (DPSU):** भारतीय सशस्त्र बलों की विनिर्माण और रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021:** प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों को वैधानिक स्वायत्तता प्रदान करता है और बंदरगाह बुनियादी ढांचे और जहाज निर्माण क्लस्टरों में निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश को सुगम बनाता है।
- **अनुच्छेद 246 (सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 24 और प्रविष्टि 25):** संसद को शिपिंग, नौवहन, लाइटहाउस, प्रमुख बंदरगाहों और समुद्री घोषणाओं पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।
- **व्यापारी शिपिंग अधिनियम, 1958:** भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों और समुद्री बुनियादी ढांचे के पंजीकरण, सुरक्षा, प्रमाणन और परिचालन अनुपालन को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष

दीर्घी पोर्ट पर MDL का ₹27,000 करोड़ का ग्रीनफील्ड शिपयार्ड समुद्री रक्षा और वाणिज्यिक विनिर्माण में रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। घरेलू क्षमता और रोजगार को बढ़ाकर, यह परियोजना भारत को एक प्रमुख ब्लू-इकोनॉमी शक्ति में बदलने की प्रक्रिया को गति देती है।

UPSC प्रासंगिकता

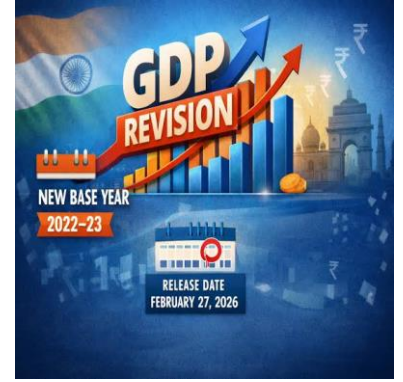
- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा):** बंदरगाह-संचालित विकास, औद्योगिक गलियारे, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि, समुद्री बुनियादी ढांचा, और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया।
- **GS प्रश्नपत्र III (आंतरिक सुरक्षा):** रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नौसेना क्षमता निर्माण, और तटीय सुरक्षा बुनियादी ढांचा।

12. भारत के GDP आधार वर्ष संशोधन और कार्यप्रणाली को समझना

मुख्य विशेषताएं और सारांश

- **आधार वर्ष संशोधन का प्रभाव:** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधार वर्ष 2022-23 (2011-12 से बदलते हुए) के साथ एक नई GDP श्रृंखला शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 2022-23 में नाममात्र (nominal) GDP में लगभग 2.7%, 2023-24 में 3.5% और 2024-25 में 3.8% का अधोमुखी संशोधन (downward revision) हुआ।
- **वैश्विक सांख्यिकी अभ्यास:** भारत के नाममात्र GDP समायोजन चीन (2021), स्पेन (2024), और मैक्सिको (2019) जैसे देशों में किए गए अंतर्राष्ट्रीय रीबेसिंग अभ्यासों को दर्शाते हैं, जहाँ नए डेटा स्रोतों के कारण आर्थिक आकार में संशोधन हुए।
- **क्षेत्र-वार भिन्न संशोधन:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 3.8%–5.9% की वृद्धि की गई, और वित्तीय/रियल एस्टेट सेवाओं में 7.8%–9.0% की वृद्धि हुई; इसके विपरीत, व्यापार, परिवहन और भंडारण में 23%–26% का भारी अधोमुखी संशोधन देखा गया।

- **असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों में सुधार:** संशोधन के मुख्य कारणों में असंगठित अर्थव्यवस्था को मापने के लिए प्रॉक्सी संकेतकों के स्थान पर असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग शामिल है।
- **यांत्रिक कैरी-फॉरवर्ड प्रभाव:** चूंकि अनंतिम और त्रैमासिक GDP अनुमान GST और औद्योगिक उत्पादन इनपुट का उपयोग करके क्रमिक रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए 2022-23 में शुरुआती आधार रेखा संशोधन ने बाद के वार्षिक आंकड़ों को यांत्रिक रूप से नीचे समायोजित कर दिया।
- **कम हुई अस्थिरता:** विश्व बैंक का विश्लेषण नोट करता है कि 2022-23 आधार श्रृंखला भारत के त्रैमासिक आर्थिक विकास प्रक्षेपवक्र का अधिक व्यापक, सटीक और कम अस्थिर मूल्यांकन प्रदान करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) रीबेसिंग:** आधुनिक उत्पादन और उपभोग पैटर्न को सटीक रूप से दर्शाने के लिए विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बेंचमार्क मूल्य ढांचे और अंतर्निहित भार (weightage) को अद्यतन (update) करने की सांख्यिकीय प्रक्रिया।
- **सकल मूल्य वर्धित (GVA):** एक आर्थिक उत्पादकता मीट्रिक जो किसी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्तिगत उत्पादक, उद्योग या क्षेत्र के योगदान को मापती है, जिसे सकल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग को घटाकर परिभाषित किया जाता है।
- **असंगठित/गैर-निगमित क्षेत्र (Unincorporated Sector):** औपचारिक कॉर्पोरेट पंजीकरण के बिना काम करने वाली निजी स्वामित्व वाली आर्थिक संस्थाएं, जो मुख्य रूप से किसी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होती हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008:** औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और वाणिज्यिक डेटा एकत्र करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसियों को सशक्त बनाने वाला वैधानिक ढांचा।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) संकल्प, 2005:** सांख्यिकीय मानक तय करने, कार्यप्रणालियों को मान्य करने और निष्पक्ष डेटा प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संस्थागत देखरेख निकाय प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 246 (संघ सूची की प्रविष्टि 77 के साथ पठित):** केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय जनगणना और व्यापक-आर्थिक डेटा संकलन पर exclusive अधिकार क्षेत्र संसद को आवंटित करता है।

निष्कर्ष

भारत के GDP को 2022-23 श्रृंखला में पुनर्गठित (rebase) करना पुराने प्रॉक्सी संकेतकों को प्रत्यक्ष, उच्च-आवृत्ति वाले असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों से बदलकर आर्थिक पारदर्शिता को बढ़ाता है। यह पुनर्मूल्यांकन आर्थिक संकुचन को दर्शाने के बजाय साक्ष्य-आधारित मैक्रोइकोनॉमिक नीति निर्माण के लिए आवश्यक एक संरचनात्मक रूप से मजबूत आधार रेखा स्थापित करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS प्रश्नपत्र III (अर्थव्यवस्था):** भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय लेखांकन, GDP अनुमान कार्यप्रणाली, असंगठित क्षेत्र का मापन, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) सुधार।

- **प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) फोकस:** GVA और GDP के बीच अंतर, रीबेसिंग की यांत्रिकी, ASUSE और PLFS डेटा अनुप्रयोग, और सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के तहत वैधानिक प्रावधान।

